मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
02/07/14	08/21/21	7 वर्ष, 6 माह, 14 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या 198 वर्ष 2014

1. मनमोहन पुरोहित पुत्र स्व. कन्हैयालाल उम्र 50 वर्ष
2. श्रीमती चन्द्रकान्ती देवी पत्नी मनमोहन उम्र 47 वर्ष

निवासियान कस्बा व पोस्ट कटेरा थाना कटेरा जिला झाँसी

------याचीगण

प्रति

1. श्रीमती राज कुमारी पत्नी स्व. बालकिशन निवासी हाजी पेट्रोल पम्प के सामने सीपरी बाजार लहर गिर्द झाँसी जिला झाँसी

.....विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

2. हरिश्चन्द्र पुत्र स्व. बालकिशन निवासी हाजी पेट्रोल पम्प के सामने सीपरी बाजार लहर गिर्द झाँसी जिला झाँसी

.....विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

3. आरती पुत्री स्व. बाल किशन निवासी हाजी पेट्रोल पम्प के सामने सीपरी बाजार लहर गिर्द झाँसी जिला झाँसी

.....विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी.93 टी 6415

4. कु. नीतू पुत्री स्व. बालकिशन उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिए माँ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती राज कुमारी पत्नी स्व. बाल किशन निवासी हाजी पेट्रोल पम्प के सामने सीपरी बाजार लहर गिर्द झाँसी जिला झाँसी

.....विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

5. श्रीमती रेखा पत्नी श्री प्रदीप निवासी हाइड्रिल कालोनी सिविल लाईन झाँसी जिला झाँसी

.....विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

6. श्रीमती भारती पत्नी श्री भोले निवासी पीताम्बरा के पास, दतिया जिला दतिया, म.प्र.

.....विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

7. दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. झाँसी जरिये मण्डलीय प्रबधन्क दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. कचहरी चौराहा झाँसी जिला झाँसी उ.प्र.

..... बीमाकर्ता लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

8. बादाम सिंह पुत्र श्री आशाराम निवासी ग्राम रसोई ब्लाक बवीना जिला झाँसी

.....चालक आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. 1 व 8 के अधिवक्ता- श्री महेन्द्र कुमार
विपक्षी सं. 7 के अधिवक्ता- श्री संजय कंचन

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में राजीव कुमार पुरोहित उर्फ राजू पुरोहित की मृत्यु के कारण ₹ 22,00,000 क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचीगण का पुत्र राजीव कुमार पुरोहित उर्फ राजू पुरोहित दिनाँक 04.06.2011 को अपनी मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एस 6525 को सावधानी पूर्वक धीमी गति से अपने बाँये हाथ पर चलाते हुए झाँसी से कटेरा अपने घर वापस आ रहा था और जब वह 2:30 बजे भगवन्तपुरा कृष्ण गऊशाला के सामने झाँसी-मऊरानीपुर रोड पर पहुँचा तो सामने से लोडिंग आपे नम्बर यू.पी. 93 टी 6415 अत्यधिक तेजी, लापरवाही पूर्वक लहराते हुए आया व गलत साइड में कच्चे में आकर आपे चालक ने मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटर साईकिल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी व राजीव कुमार की दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा हरेन्द्र की दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण दुर्घटना के दिनाँक को ही दौरान इलाज मेडिकल कॉलेज, झाँसी में मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना याची सं. 1 ने थाना सदर बाजार, झाँसी में दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसने न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया तथा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना सदर बाजार, झाँसी में मुकदमा अपराध सं. 165/2011 धारा 279, 337, 338, 304 ए भा. दं. सं. के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मृतक राजीव कुमार पुरोहित की उम्र

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.15 18:18:28 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

24 वर्ष थी तथा वह अत्यन्त विलक्षण बुद्धि का था। राजीव कुमार दुर्घटना के समय एम.लिब. करने के साथ-साथ कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों की कोचिंग सन्चालित करता था जिससे वह ₹ 10,000 प्रतिमाह कमाकर अपना व याचीगण का भरण-पोषण करता था।

3. उक्त लोडिंग आपे के पंजीकृत स्वामी की दिनाँक 10.08.2011 हो मृत्यु हो गई है इसलिए प्रतिकर याचिका में विपक्षी सं. 1 लगायत 6 के विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।

4. विपक्षी सं. 1 लगायत 6 विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी पंजीकृत स्वामी लोडिंग आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415 की ओर से 28 बी जवाबदावा, जिस पर मात्र विपक्षी सं. 1 राज कुमारी के ही हस्ताक्षर हैं, दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि विपक्षी सं. 1 के पति व 2 लगायत 6 के पिता (बाल किशन) की मृत्यु दिनाँक 10.08.2011 को हो गई थी, जिन्होंने कथित दुर्घटना के बारे में उन्हें नहीं बताया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन विपक्षीगण के वाहन को कथित दुर्घटना में झूठा फसाया गया है। थाना सदर बाजार की पुलिस जबरदस्ती घर से आपे को उठाकर ले गई थी, जिसे मजबूरन विपक्षी सं. 1 को न्यायालय से रिलीज करवाना पड़ा। विपक्षी सं. 1 के पति ने जब से उक्त वाहन खरीदा था, उसे बादाम सिंह (विपक्षी सं.8) चलाता था। दुर्घटना के समय विपक्षी का उक्त आपे विपक्षी सं. 7 बीमा कम्पनी के यहाँ पैकेज पॉलिसी के अन्तर्गत तृतीय पक्ष को असीमित क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु बीमित था तथा विपक्षी के आपे के समस्त कागजात वैध थे व उसके चालक के पास दुर्घटना के दिनाँक व समय पर वैध व प्रभावी चालक लाईसेंस था। यदि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि कथित दुर्घटना विपक्षी सं. 1 के आपे से घटित हुई है तो विपक्षीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का दायित्व विपक्षी सं. 7 बीमा कम्पनी का होगा। **चूँकि इस जवाबदावा पर मात्र विपक्षी सं. 1 राजकुमारी के ही हस्ताक्षर हैं अतः यह जवाबदावा मात्र विपक्षी सं. 1 की ओर से ही माना जाएगा।**

5. विपक्षी सं. 7 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 टी 6415 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 25 बी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों एवं शर्तो के अनुसार ही आयत होती है। कथित दुर्घटना के समय उक्त प्रश्नगत लोडिंग आपे के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक लाईसेंस नहीं था तो ऐसी दशा में उनकी किसी भी क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए जिम्मेदारी नहीं है। उक्त प्रश्नगत आपे स्वामी/चालक ने दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना नही दी न ही बीमा पॉलिसी की संख्या, अवधि व चालक का लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि अभिलेख सत्यापन हेतु दिये इस कारण विपक्षी की क्षतिपूर्ति दायगी की जिम्मेंदारी नहीं है।

6. विपक्षी सं. 8 बादाम सिंह प्रश्नगत आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415 के कथित चालक की ओर से 105 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये विपक्षी सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में किये गये कथनों के समान कथन किये गये है तथा यह भी कथन किये हैं कि याचीगण का यह कथन एकदम गलत है कि उक्त दुर्घटना उसकी लापरवाही के कारण घटित हुई थी, बल्कि सत्यता यह है कि वह आपे नं. यू.पी. 93 टी 6415 को सावधानीपूर्वक अपने बाँये हाथ पर चलाते हुए आ रहा था तथा समय करीब 2:30 बजे जब विपक्षी भगवंतपुरा गौशाला के सामने पहुँचा तो सामने से एक मोटर साईकिल अत्यधिक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक लहराते हुए आ रही थी जिसको देखकर उसने अपनी लोडिंग को एकदम धीमा करके अपने बाँये हाथ पर कच्चे में कर लिया इसके बावजूद उक्त मोटर साईकिल के चालक ने गलत साईड में आकर उसकी लोडिंग में जोरदार टक्कर मार दी। उसके पास लोडिंग आपे चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस है।

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 04.08.2016 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

1. क्या दिनाँक 04.08.2011 को समय करीब 2:30 बजे स्थान ग्राम भगवन्तपुरा कृष्ण गऊशाला के सामने झाँसी - मऊरानीपुर रोड पर अन्तर्गत थाना सदर बाजार झाँसी में लोडिंग आपे नम्बर यू.पी. 93 टी 6415 के चालक ने उक्त लोडिंग आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र राजीव कुमार पुरोहित उर्फ राजू पुरोहित की मोटर साईकिल संख्या यू.पी. 93 एस 6525 में टक्कर मार दी, जिससे याचीगण के पुत्र राजीव कुमार पुरोहित उर्फ राजू पुरोहित की गम्भीर चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई?

2. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर लोडिंग आपे नम्बर यू.पी. 93 टी 6415 के चालक के पास उक्त लोडिंग आपे को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेन्स था?

3. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर लोडिंग आपे नम्बर यू.पी. 93 टी 6415 विपक्षी सं.7 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी?

4. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो किस विपक्षी से व कितनी?

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 02.02.2019 को निम्नलिखित अतिरिक्त वाद बिन्दु विरचित किया गया है:-

5. क्या प्रश्नगत दुर्घटना लोडिंग आपे सं. यू.पी. 93 टी 6415 एवं मोटर साईकिल संख्या यू.पी. 93 एस 6525 के चालकों की अंशदायी/योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुयी?

8. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

1. फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 8 सी1 लगायत 15 सी1, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, मृत्यु प्रमाणपत्र कल्लू उर्फ बालकिशन, पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र, डी.एल. मृतक राजीव कुमार की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

2. फेहरिस्त 59 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 60 सी1 लगायत 73 सी1, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, नक्शा नजरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आरोपपत्र व नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ, मृतक के मूल अंक पत्र व हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मुन्ना लाल के प्रार्थनापत्र/प्रोटेस्ट पिटीशन की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.1 मनमोहन पुरोहित याची सं. 1, पी.डब्लू.2 सुखनन्दन चक्षुदर्शी स्वतन्त्र साक्षी

विपक्षीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

1. विपक्षी सं. 1 की ओर से फेहरिस्त 30 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 31 सी1 लगायत 33 सी1, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, चालक लाइसेंस की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

2. विपक्षी सं. 7 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिस्त 102 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 103 सी1 असल अन्वेषक आख्या।

मौखिक साक्ष्य

डी.डब्लू.1 विनोद कुमार तिवारी अन्वेषक

9. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी एवं पत्रावली पर दाखिल याची व बीमा कंपनी की ओर से दाखिल लिखित बहस व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्याँकन किया। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य तर्क यह रखा है कि इस प्रकरण मे चालक को बदल दिया गया है, न तो हरिश्चंद्र को परीक्षित कराया गया है और न ही राज कुमारी को अतः यह साबित नही है कि आपे को कौन चला रहा था? बदले गये चालक ने भी स्वयं को परीक्षित नही कराया है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 5</u>

प्रस्तुत प्रकरण मोटरसाईकिल तथा आपे के आमने-सामने टक्कर की है। यह दोनों वाद बिंदु दुर्घटना, दुर्घटना में आपे चालक की उपेक्षा तथा मोटरसाईकिल चालक योगदायी उपेक्षा के कारण चोटें आने व मृत्यु हो जाने के संबंध में है। याचिका में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिए याचीगण की ओर से मृतक राजीव कुमार पुरोहित का पिता पी.डब्लू.1 मनमोहन पुरोहित को परीक्षित किया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित कथित घटना के तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है तथा दुर्घटना में अपने पुत्र को आयी गम्भीर चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु होना बताया है तथा स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी, घटना की सूचना थाना-सदर बाजार पुलिस द्वारा दी गयी थी बाद में सुखनन्दन के द्वारा भी उसे घटना के बारे में बताया गया था। घटना सुखनन्दन के सामने घटित हुई थी। साक्षी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि यह घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है परन्तु इस साक्षी की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि इस साक्षी के पुत्र की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण हुई थी। कथित घटना के **चक्षुदर्शी साक्षी** के रूप में याचीगण की ओर से प्रस्तुत सुखनन्दन **पी.डब्लू.2** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना अपने समक्ष घटित होना बताते हुये कथन किया है कि दिनाँक 04.06.2011 को वह अपनी मोटर साइकिल से झाँसी से कटेरा जा रहा था। भगवन्तपुरा के इण्डियन आयल के पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल लेकर जैसे ही सड़क पर आया कि दोपहर करीब ढ़ाई बजे झाँसी की ओर से मोटर साइकिल नम्बर यू.पी. 93 एस 6525 मउरानीपुर की ओर जा रही थी जिसे राजीव पुरोहित सावधानी पूर्वक धीमी गति से अपने हाथ पर चला रहे थे। उक्त मोटर साइकिल पर पीछे हरेन्द्र बैठा था। दोपहर के ढ़ाई बजे जब मोटर साइकिल ग्राम भगवन्तपुरा के कृष्ण गौशाला के पास पहुँची तो उसी समय सामने से मउरानीपुर की ओर से लोडिंग आपे नम्बर यू.पी. 93 टी 6415 तेजी व लापरवाही से लहराते हुये आ रही थी जिसको देखकर राजीव पुरोहित ने मोटर साइकिल को एकदम धीमा करके अपने बाये हाथ पर कच्चे में कर लिया था, इसके बाद उक्त लोडिंग आपे के

चालक ने गलत साइड में कच्चे में आकर राजीव पुरोहित की मोटर साइकिल में सामने से जोरदार टक्कर मार दी जिससे हरेन्द्र व राजीव पुरोहित गम्भीर रूप से घायल हो गये थे और घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण राजीव पुरोहित की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी और हरेन्द्र की मेडिकल कालेज में उसी दिन मृत्यु हो गयी थी। उक्त घटना में पूरी गल्ती लोडिंग आपे चालक की थी। घटना उसके सामने हुयी थी। उसने मृतक के परिवार वालों को बताया था। इस साक्षी से विपक्षीगण की ओर से घटना के तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में घटना के तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं आयी है जिसके आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को अविश्वनीय माना जा सके। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 8C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुन्नालाल द्वारा दिनाँक 11.09.2011 को वाहन संख्या- यू.पी. 93 टी 6415 के अज्ञात चालक के विरुद्ध थाना- सदर बाजार, झाँसी में दर्ज करायी गयी है जबकि कथित घटना दिनाँक 04.06.2011 को घटित होना कहा गया है। उक्त पर विपक्षीगण की ओर से आपत्ति करते हुये बल दिया गया कि कथित घटना की रिपोर्ट सोच समझकर अत्यन्त विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उक्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त के सम्बन्ध में याचीगण की ओर से कहा गया है कि कथित घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने मुन्नालाल थाना- सदर बाजार गये थे परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तब घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा- 156(3)Cr.P.C. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिस पर पारित आदेश के अनुपालन में थाना- सदर बाजार में उक्त मामला पंजीकृत किया गया था। याचिका में वर्णित उक्त कथन की पुष्टि स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से होती है। स्वभाविक रूप से किसी मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु जब न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त आवेदन पर आदेश पारित किये जाने तक विधिक कार्यवाही पूर्ण होने में समय व्यतीत हो जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए विलम्ब का प्रभाव मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि मात्र विलम्ब के आधार पर आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष प्राप्त कर लिया जाये कि याचिका झूठी गढ़ी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब मात्र एक संदेह ही उत्पन्न करवाता है। यदि विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दे दिया गया है तो विलंब स्वीकार कर लिया जाएगा। यह भी सुस्थापित विधि है कि आरोप पत्र से प्रथम दृष्टया मामला ही बनता है।

11. दुर्घटना आमने सामने की अवश्य है किंतु योगदायी उपेक्षा का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। नक्शा नजरी के अनुसार भी शत-प्रतिशत लापरवाही आपे चालक की दर्शित होती है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है-

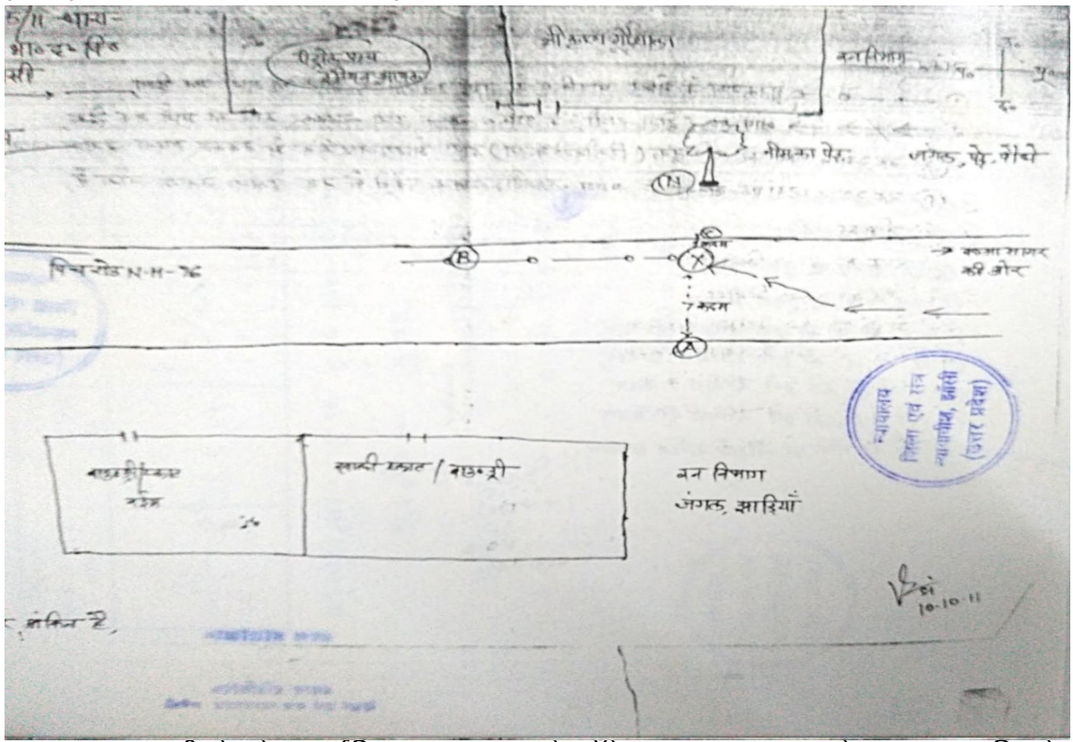

उक्त नक्शा नजरी मे मोटरसाईकिल चालक अपने बॉये साइड B स्थान से X स्थान की ओर दर्शित है। इस प्रकार याचिका में वर्णित दुर्घटना के तथ्य **चक्षुदर्शी साक्षी** सुखनन्दन **पी.डब्लू.2** के साक्ष्य, **आरोप पत्र** व **नक्शा नजरी** से आपे चालक की लापरवाही की पुष्टि होती है अतः यह साबित होता है कि दिनाँक 04.08.2011 को समय करीब 2:30 बजे स्थान ग्राम भगवन्तपुरा

कृष्ण गऊशाला के सामने झाँसी - मऊरानीपुर रोड पर अन्तर्गत थाना सदर बाजार झाँसी में लोडिंग आपे नम्बर यू.पी. 93 टी 6415 के चालक ने उक्त लोडिंग आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र राजीव कुमार पुरोहित उर्फ राजू पुरोहित की मोटर साईकिल संख्या यू.पी. 93 एस 6525 में टक्कर मार दी, जिससे याचीगण के पुत्र राजीव कुमार पुरोहित उर्फ राजू पुरोहित की गम्भीर चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। तदनुसार वाद विन्दु संख्या-एक सकारात्मक रूप से व वाद बिंदु संख्या-पॉच नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या-दो</u>

इस वाद बिंदु के संबंध में बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जहाँ एक ओर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचीगण द्वारा पुलिस से मिलकर चालक बदलवा दिया गया है क्योंकि बालकिशन के पास चालन अनुज्ञप्ति नही थी वहीं दूसरी ओर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चालक के विरुद्ध आरोप पत्र इस बात का सबूत होता है कि वही चालक था।

13. हलाँकि पत्रावली पर उपलब्ध बादाम सिंह के चालक अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति 32C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञा पत्र दिनाँक 05.08.2003 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 11.08.2008 से 10.08.2011 तक लाइट ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी है। विपक्षीगण द्वारा उक्त का खण्डन नहीं किया जा सका है। अत: स्पष्ट है कि कथित घटना की दिनाँक व समय पर बादाम सिंह के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था किंतु प्रश्न यह है कि आपे सं. यू.पी. 93 टी 6415 का चालक कौन था? प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस विवेचना में दो निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। एक ओर विवेचक द्वारा पहला निष्कर्ष आपे के पंजीकृत स्वामी बालकिशन के पुत्र **हरिशचन्द्र** द्वारा उन्हें दिए गए बयान के आधार पर प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नगत वाहन आपे को उसके पिता बालकिशन ने ही खरीदा था और वही चलाते थे और बालकिशन की मृत्यु हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर याची की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन, जिसका आधार यह है कि पंजीकृत स्वामी की पत्नी **श्रीमती राजकुमारी** ने अपने जवाबदावे व विवेचक को दिए गए बयान में कहा है कि घटना के समय प्रश्नगत लोडिंग आपे को बादाम सिंह चला रहे थे, के आधार पर विवेचक ने बादाम सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। स्पष्ट है कि मामले के विवेचक ने प्रश्नगत वाहन लोडिंग आपे के चालक के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य एकत्रित नहीं किया है। स्पष्ट है कि विवेचना लचर व सतही है। ऐसे आरोप पत्र को चालक के संबंध मे प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप मे ही स्वीकार करना न्यायोचित नही होगा, ठोस साक्ष्य के रूप मे स्वीकार किया जाना तो दूर की बात है। मोटर दुर्धटना प्रतिकर के मामलों मे यदि वास्तविक चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति नही होती है तो वाहन स्वामी/धारक द्वारा चालक को बदले जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। कहने की आवश्यकता नही कि दाण्डिक मामलों पक्षद्रोह व सख्त सबूत की कमी के कारण चालक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न हो पाने से दुर्घटना के मामले भी बढ़ते है और चालक बदलने के मामले भी। **बादाम सिंह** विपक्षी संख्या- आठ ने जवाबदावा दाखिल कर कथित घटना के समय स्वयं द्वारा प्रश्नगत वाहन लोडिंग आपे को चलाना स्वीकार किया है जबकि बीमा कंपनी के अन्वेषणकर्ता को बादाम सिंह ने यह बयान दिया है कि वह आपे को नही चला रहा था। इस न्यायाधिकरण के समक्ष चालक के बिंदु पर अपने - अपने अभिवचनों के समर्थन मे न तो **हरिशचन्द्र** न ही **श्रीमती राजकुमारी** और न ही **बादाम सिंह** ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न ही इन लोगों ने स्वयं को परीक्षित कराया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों मे यह साबित नही होता है कि कथित घटना के समय प्रश्नगत लोडिंग आपे का चालन बादाम सिंह ही कर रहा था, जबकि इस वाद बिंदु को सबित करने का भार **हरिशचन्द्र, श्रीमती राजकुमारी** व **बादाम सिंह** पर ही था। इस प्रकार यह वाद बिंदु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या- 3</u>

पत्रावली पर उपलब्ध वाहन लोडिंग आपे संख्या- यू.पी. 93 टी 6415 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति 33C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बीमा पॉलिसी दिनाँक 20.01.2011 से 19.01.2012 तक वैध है, जिसका का खण्डन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया जा सका है। अत: स्पष्ट है कि घटना की दिनाँक 04.06.2011 को अक्रामक वाहन लोडिंग आपे विपक्षी संख्या-सात दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी में विधिवत रूप से बीमित थी। तदनुसार वाद विन्दु संख्या-तीन सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। प्रश्नगत वाहन लोडिंग आपे के अन्य किसी प्रपत्र की वैधता पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

15. <u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या- 4</u>

यह वाद विन्दु प्रतिकर निधारण से सम्बन्धित है। चूँकि वाद बिन्दु संख्या- एक सकारात्मक रूप से, दो व पॉच नकारात्मक रूप से एवं तीन सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं। अत: प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- 1 लगायत 6 व 8 का संयुक्त व पृथक – पृथक रूप से है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने पे एंड रिकवर का तर्क रखा है। मेरे विचार से आपे मालिक के परिवार की हैसियत ऐसी नही होगी कि वह सम्पूर्ण प्रतिकर की अदायगी एक साथ

व तुरंत कर सके जबकि याचीगण को तुरंत प्रतिकर की आवश्यकता होती है अतः इस प्रकरण मे विधि व्यवस्था Shamanna and Ors. vs. The Divisional Manager, The Oriental Insurance Co. Ltd. and Ors. (08.08.2018 - SC) : MANU/SC/0828/2018 के आलोक मे पे एंड रिकवर के तर्क को स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याचीगण विपक्षी संख्या- सात से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं? याचिका में याचीगण ने कथित घटना के समय मृतक राजीव पुरोहित को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी होना बताते हुये कहा है कि कथित घटना के समय राजीव पुरोहित एम.लिब. की पढ़ाई कर रहा था साथ ही वह कक्षा नौ एवं दस के छात्रों को कोचिंग पढ़ाकर प्रतिमाह दस हजार रुपये आय अर्जित कर लेता था, जिससे परिवार के खर्च में मदद मिलती थी। उक्त के सम्बन्ध में स्वंय मृतक के पिता मनमोहन साक्षी संख्या- एक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मेरा पुत्र मृतक राजीव पुरोहित एम.लिब. में अध्यनरत था और पढ़ाई के साथ वह स्कूल के विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता था जिससे वह दस हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता था। याचीगण की ओर से सूची से दाखिल मृतक शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक राजीव पुरोहित उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था परन्तु याचीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि राजीव पुरोहित बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर दस हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता था। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008- SC) : MANU/SC/7368/2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Smt. Chandrawati vs Shushil Kumar And Another (01.8.2018-ALLHC): MANU/UP/2954/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितियों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की सम्भावना रहती है। ऐसी स्थिति में मृतक राजीव पुरोहित की प्रतिदिन की कल्पित आय ₹180 निर्धारित की जाती है। याचिका में कथित घटना के समय मृतक की आयु- 26 वर्ष दर्शित की गयी है। याचीगण की ओर से मृतक राजीव पुरोहित के हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसकी जन्म तिथि 15.01.1986 अंकित है जिसके अनुसार कथित घटना की दिनाँक को मृतक की आयु लगभग 26 वर्ष ही होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतक राजीव पुरोहित की आयु उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर 26 वर्ष निर्धारित की जाती है।

16. विधि व्यवस्था Sarla Verma and Ors. vs. Delhi Transport Corporation and Ors. (15.04.2009 - SC) : MANU/SC/0606/2009 के अनुसार समान्य नियम यह है कि माँ को आश्रित माना जाएगा किंतु विधि व्यवस्था Gangaraju Sowmini and Ors. vs. Alavala Sudhakar Reddy and Ors. (01.02.2016 - HYHC) : MANU/AP/0096/2016 के अनुसार पिता को भी आश्रित माना जा सकता है। इस प्रकरण मे पिता 50 वर्ष के हैं और ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि पिता की कोई स्वतंत्र आय है अतः पिता को भी आश्रित माना जाता है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Pranay Sethi & ors. (31.10.17- SC): MANU/SC/1366/2017 व विधि व्यवस्था Pappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 के अनुसार 26 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु 17 का गुणांक प्रयोज्य है तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40% भविष्य की प्रत्याशा में वृद्धि, मृतक के अविवाहित होने की दशा में उसकी आय से 1/2 भाग की कटौती तथा सम्पदा की क्षति के लिए ₹15,000 एवं दाह संस्कार के लिए ₹15,000 निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्तानुसार याचीगण को प्रदान की जाने वाली प्रतिकर की राशि की गणना निम्नवत है-

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	180	30	12	64800
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	25920
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	45360
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				45360
गुणक			17	771120
वैवाहिक साहचर्य की क्षति				771120
संपदा की क्षति			15000	786120
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	801120

17. इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि **₹8,01,120** आती है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि पर विधि व्यवस्था Nattional Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal & ors. (23.4.19- SC): MANU/SC/0589/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के आलोक में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक याचीगण को दिलाया जाना तथा विधि व्यवस्था M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक में क्षतिपूर्ति की धनराशि की पंचवर्षीय वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार वाद विन्दु संख्या- चार निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी गण 1 व 8 के विरुद्ध गुणवगुण पर व 2 लगाायत 6 के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से संयुक्त एवं पृथक - पृथक दायित्व के आधर पर **₹8,01,120** (आठ लाख एक हजार एक सौ बीस) प्रतिकर की धनराशि एवं उस पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या- सात दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 60 दिन के अन्दर प्रतिकर की समस्त धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या- 3710001011924 89 (IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे और तत्पश्चात विपक्षी गण 1 लगाायत 6 व 8 से वसूल ले। याचीगण प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि बराबर भाग प्राप्त करेंगे जिसका 70% भाग प्रत्येक की पांच-पांच वर्ष की वार्षिकी बनाई जायेगी एवं 30% राशि प्रत्येक के बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक मोड से स्थानान्तरित की जायेगी।तदनुसार एवार्ड तैयार किया जाये।

दिनाँकः 21.08.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 21.08.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी